कार्यालय वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल सीधी, जिला सीधी (म0प्र0)

Ph. 07822-252235, Fax- 253035 E-mail- dfot.sdh@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/10206 सीधी, दिनांक 21/12/2022

प्रति,

उपमुख्य अभियन्ता निर्माण
प0म0रे0 जबलपुर (म0प्र0)

विषयः— रीवा सीधी सिंगरौली न्यू बी.जी. रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र बहरी की प्रभावित वन भूमि 26.50 हे0 वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्राप्त व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रकरण में वनमण्डलाधिकारी सीधी द्वारा स्थल निरीक्षण करने बावत्।

संदर्भः— आनलाईन प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/RAIL/33238/2018 वन परिक्षेत्राधिकारी मड़वास द्वारा प्रस्तुत संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 3061 दिनांक 21.12.2022

—000—

उपरोक्त विषय में कृपया संदर्भित प्रस्ताव का अवलोकन करें, जिसमें आपके द्वारा प्रस्तावित रीवा सीधी सिंगरौली न्यू बी.जी. रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र बहरी की प्रभावित वन भूमि 26.50 हे. वनक्षेत्र में प्रस्तावित रेल लाईन निर्माण के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने हेतु आनलाइन प्रस्ताव, जिसका प्रपोजल नम्बर FP/MP/RAIL/33238/2018 दिनांक 26.05.2018 प्रस्तुत किया गया है। आपके श्री गिरधर मीणा वरिष्ठ खण्ड अभियंता द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी बहरी के साथ प्रस्तावित रेलवे लाइन मार्ग में प्रभावित वनभूमि का संयुक्त स्थल निरीक्षण सम्पन्न कराकर प्रभावित वनभूमि में स्थित वृक्षों की गणना सूची एवं अभिलेखों सहित प्रतिवेदन वन परिक्षेत्राधिकारी एवं आपके प्रतिनिधि के संयुक्त हस्ताक्षर सहित दिनांक 21.12.2022 को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्रस्तावित रेलवे लाइन में प्रस्ताव आनलाइन भाग—1 में उल्लेखित प्रभावित वनभूमि 26.50 हे. के विरूद्ध मौके की जांच अनुसार 34.01 हे. बताया गया है। आपके प्रतिनिधि श्री गिरधर मीणा वरिष्ठ खण्ड अभियंता रीवा—सीधी—सिंगरौली रेलवे लाइन के द्वारा बताया गया कि अभी प्रकरण में क्षेत्रफल में संशोधन होना शेष है। अतः कृपया प्रस्तातिव रेलवे लाइन में वास्तवकि रूप से प्रभावित वनक्षेत्र की गणना कर अपने यूजर आई.डी. से तत्काल भाग—1 ऑनलाइन में संशोधन करने एवं अंतिम रूप से प्रभावित वनभूमि के सम्बन्ध में वास्तविक क्षेत्रफल का प्रतिवेदन तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि ऑनलाइन भाग—2 प्रविष्टि की जा सके। इसके अलावा प्रकरण में पंजीयन/प्रोसेंसिंग शुल्क की राशि रूपये 35000/— की डी.डी. अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम तैयार कराकर शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

वनमण्डल अधिकारी
सीधी (म0प्र0)

क्रमांक/मा0चि0/10207 सीधी, दिनांक 21/12/2022

प्रतिलिपिः—1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

वनमण्डल अधिकारी
सीधी (म0प्र0)